कार्यालय पुलिस उपायुक्त अपराध, कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस विज्ञप्ति

दि0- 24/10/2024

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के कुशल निर्देशन व पुलिस उपायुक्त मु0 एवं अपराध के पर्यवेक्षण व अपर पुलिस उपायुक्त अपराध व सहायक पुलिस आयुक्त अपराध के नेतृत्व में अपराध शाखा कमिश्नरेट वाराणसी की साइबर अपराध सेल द्वारा साइबर अपराधों के प्रति चलाये जा रहे जागरूकता अभियान के तहत, IMS, BHU के आयुर्वेद संकाय में साइबर अपराधों से बचाव से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया।

दिनांक 23/10/2024 को IMS, BHU के आयुर्वेद संकाय में, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस से पूर्व हो रहे कार्यक्रमों के आयोजन में एक कार्यशाला साइबर अपराधों से बचाव हेतु आयोजित किया गया, जिसमें वर्तमान समय में प्रचलित साइबर अपराधो के प्रति जागरुक किया गया तथा साइबर अपराधों की शिकायत दर्ज कराने के लिये साइबर हेल्प लाइन नं0 1930 व वेबसाइट www.cybercrime.gov.in के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। इस कार्यक्रम में अपर पुलिस उपायुक्त (जोन-वरुणा) श्री सरवणन टी. मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में उपस्थिती –

1- श्री सरवणन टी. (अपर पुलिस उपायुक्त (जोन-वरुणा))
2- प्रो. पी. के. गोस्वामी (डीन, आयुर्वेद संकाय)
3- प्रो. चंद्र शेखर पांडे (आयुर्वेद संकाय)
4- डॉ. रोहित शर्मा (आयुर्वेद संकाय)
5- डॉ. देवनंद उपाध्याय (आयुर्वेद संकाय)
6- उ.नि. कृष्ण कुमार जायसवाल (साइबर सेल)
7- आ. विराट सिंह (साइबर सेल)
8- आ. रोहित तिवारी (साइबर सेल)

साइबर फ्राड से बचाव -

1. डिजिटल अरेस्ट व पुलिस/सीबीआई/नारकोटिक्स/कस्टम विभागों के नाम से आने वाले ब्लैकमेलिंग कॉल या मैसेज से सावधान रहें।
2. बैंक सम्बन्धित संवेदिशील जानकारी जैसे कि ओटीपी, पिन, सीवीवी आदि किसी के साथ साझा न करें, अपने कार्ड से अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजेक्शन बंद कर के रखें।

3. क्रेडिट कार्ड एक्टीवेशन / ब्लॉक / केवाईसी के नाम पर किसी भी व्यक्ति को बैंक सम्बन्धित संवेदनशील जानकारी उपलब्ध कराने से बचें।
4. अपने मोबाइल फोन में किसी के कहने पर स्क्रीन-शेयरिंग ऐप जैसे कि AnyDesk, Quick Support, TeamViewer आदि इंश्टाल न करें। किसी भी अंजान लिंक पर क्लिक करने से बचें।
5. गूगल सर्च पर कस्टमर केयर के नाम से उपलब्ध नम्बरों पर बिना जाँचे-परखे विश्वास न करें।
6. लोन केवल विश्वसनीय बैंक / आर्थिक संस्थान आदि से ही प्राप्त करें।
7. OLX/Quikr/Facebook (Meta) आदि वेबसाइट पर उपलब्ध सामग्रियों का भुगतान बिना भौतिक सत्यापन व सघन जाँच के न करें।

नोट- साइबर फ्राड होने पर तत्काल 1930 पर कॉल कर या www.cybercrime.gov.in पर या अपने नजदीकी थाने के साइबर हेल्प डेस्क या साइबर सेल में अपनी शिकायत दर्ज कराएँ।

पुलिस उपायुक्त अपराध,
कमिश्नरेट वाराणसी।